Add Comm./ JT Comm
/ [handwritten initials]
Ex Com
07.2.19

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः126/ XXIII/2019/04(04)/2018
देहरादूनः दिनॉकः07 फरवरी, 2019

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) की धारा–40 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एव बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2019

1 राजस्व का निर्धारण

1.1 मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु राजस्व का निर्धारण

जनपदवार दुकानों के व्यवस्थापन हेतु निम्न प्रकार राजस्व को निर्धारित किया जाता है:–

क0 सं0	जिले का नाम	निर्धारित राजस्व (करोड़ रूपये में)
1	नैनीताल	259
2	उधमसिंहनगर	224
3	अल्मोड़ा	134
4	बागेश्वर	49
5	चम्पावत	47
6	पिथौरागढ़	81
7	हरिद्वार	362
8	देहरादून	561
9	टिहरी	113
10	पौड़ी	129
11	उत्तरकाशी	50
12	रूद्रप्रयाग	48
13	चमोली	78

उपरोक्त तालिका में वर्णित राजस्व सम्पूर्ण जनपदों हेतु मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन का राजस्व होगा। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दुकानवार राजस्व का निर्धारण कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानों के निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकता है।

1.2 मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–

(क) देशी मदिरा की दुकान हेतु–वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 8% के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) विदेशी मदिरा की दुकान हेतु–वर्ष 2019–20 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1% के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

नोट–रूपये 25.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रू0 25.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2019 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

1.3 मदिरा की दुकानों की न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :–

उपरोक्त नियम–1.1 के अन्तर्गत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–1.2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित की जायेगी।

2. पात्रता :–

देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होगी।

2.1 आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2.5% के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

2.2 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु प्रपत्र के रूप में मात्र स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) तथा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.3 आवेदक को मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 20% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप जी–39 में प्रस्तुत करना होगा।

2.4 मदिरा की दुकान के राजस्व के आधार पर निम्न प्रकार पात्रता निर्धारित की जाती है:–

a) **रू0 02 करोड़ वार्षिक राजस्व तक**–सम्बन्धित जनपद जिसमें दुकान स्थित हो, के लिए सम्बन्धित जनपद के स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

b) **रू0 02 करोड़ से अधिक वार्षिक राजस्व**–उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी आवेदन हेतु पात्र होंगे।

नोट–प्रथम चरण में यदि बिन्दु संख्याः 2.4 a के अनुसार किसी मदिरा की दुकान हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो उक्त दुकान के दूसरे चरण हेतु पात्रता उत्तराखण्ड राज्य स्वतः मानी जायेगी।

2.5 मदिरा की दुकान हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त अधिकतम दो आवेदक संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं, अर्थात आवेदक, सह आवेदक के साथ आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में दोनों आवेदकों की हैसियत जोड़कर, हैसियत की गणना की जा सकती है। आबकारी राजस्व की जिम्मेदारी दोनों ही आवेदकों की सम्मिलित रूप से होगी।

3 मदिरा/बीयॅर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण/आवंटन/व्यवस्थापन :–

3.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 में उन्हीं मदिरा/बीयॅर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुई हो। मदिरा/बीयॅर दुकान के नवीनीकरण हेतु गत् वर्ष के व्यवस्थापित राजस्व में निम्न प्रकार प्रतिशत वृद्धि कर सम्बन्धित मदिरा दुकान का नवीनीकरण किये जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

a) वित्तीय वर्ष 2019–20 में गतवर्ष 2018–19 के व्यवस्थापित राजस्व में 20 प्रतिशत वृद्धि कर मदिरा/बीयर की दुकानों का नवीनीकरण किया जा सकता है।

b) नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा/बीयॅर की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2018–19 की समस्त देयतायें नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने तक जमा होनी चाहिए।

c) वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकरण करने पर निम्न नवीनीकरण शुल्क देय होगा:–

(i) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयॅर की दुकानों के वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निर्धारित कुल राजस्व का 1% या रू० 02 लाख जो अधिक हो।

d) नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

e) लाईसेंस प्राधिकारी नवीनीकरण स्वीकृति की सहमति, जाँचोपरान्त निर्गत करेंगे।

f) मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु) नवीनीकरण स्वीकृति के 03 दिवस के भीतर नियमानुसार जमा करना होगा।

g) मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित प्रथम प्रतिभूति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु) नवीनीकरण स्वीकृति के 07 दिवस के भीतर या 31 मार्च से पूर्व जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।

h) मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित द्वितीय प्रतिभूति लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी (वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु) नवीनीकरण स्वीकृति के 30 दिवस के भीतर या 31 मार्च से पूर्व जो भी पहले हो, जमा करनी होगी।

i) अनुज्ञापी को नवीनीकरण हेतु अपने आधार कार्ड (यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है) की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा मदिरा की दुकान के कुल राजस्व के 20% धनराशि के बराबर का हैसियत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में 31 मार्च से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट–वित्तीय वर्ष 2019–20 में उन्हीं मदिरा/बीयॅर की दुकानों का नवीनीकरण होगा, जो कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में सम्बन्धित दुकान हेतु निर्धारित सम्पूर्ण राजस्व या उससे अधिक पर व्यवस्थापित हुई हों।

3.2 नियम 3.1 के अनुसार जो मदिरा/बीयॅर की दुकानें नवीनीकृत नहीं हो पायेंगी, उन मदिरा/बीयॅर की दुकानों को उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2019 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित राजस्व पर ऑन लाईन ऑफर माँग कर ई–टेण्डर के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3.3 नियम 3.1 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 **में** नवीनीकृत न होने वाली मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के लिये दुकानवार न्यूनतम राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

3.4 उक्त निर्धारित न्यूनतम राजस्व के सापेक्ष फुटकर मदिरा की दुकान हेतु ऑन लाईन ऑफर आमन्त्रित किये जायेंगे। न्यूनतम निर्धारित राजस्व या उससे अधिक, अधिकतम राजस्व ऑफरदाता के पक्ष में मदिरा की दुकान को आवंटित कर दिया जायेगा।

3.5 एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम दो मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी। यदि किसी आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार मदिरा की दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा की दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम दो मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा की दुकान हेतु उसके द्वारा दिया गया ऑफर स्वतः निरस्त माना जायेगा। वे अनुज्ञापी जिनके द्वारा अपनी मदिरा की दुकान नवीनीकृत करा दी गयी है, वह भी दूसरी दुकान हेतु आवेदन कर सकता है।

3.6 नियम 3.4 के अनुसार यदि दो व्यक्तियों की ऑन लाईन ऑफर एक समान होती है, तो दोनों के मध्य लॉटरी के द्वारा मदिरा दुकान का आवंटन कराया जायेगा।

3.7 देशी मदिरा की दुकान के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 25,000/– प्रकिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा।

3.8 विदेशी मदिरा एव बीयॅर की दुकान के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 30,000/–प्रकिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा। आवेदन शुल्क अप्रतिदेय होगा।

3.9 नियम 3.7 व 3.8 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया शुल्क तथा नियम 2.1 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन कोऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से देय होगा।

3.10 केवल निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार्य किये जायेंगे।

3.11 आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकिया शुल्क तथा धरोहर धनराशि से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होगें।

3.12 नियम 2.4 के अनुसार दी गयी व्यवस्था के कम में रू0 02 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा की दुकान हेतु प्रथम चरण के लिए मात्र जनपद का स्थायी निवासी पात्र होगा। प्रथम चरण में व्यवस्थापित न हो पाने वाली रू0 02 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु द्वितीय चरण के लिए उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी पात्र होगा।

रू0 02 करोड़ से अधिक राजस्व वाली मदिरा दुकानों हेतु दोनों ही चरण के लिए उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी पात्र होगा।

3.13 उपरोक्त दोनों चरणों के उपरान्त भी यदि मदिरा की दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर मदिरा की दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित मदिरा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।

3.14 उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो मदिरा की दुकान का प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

3.15 आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु यदि वित्तीय वर्ष 2019–20 के देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी अपनी मदिरा की दुकान का नवीनीकरण मात्र एक वर्ष हेतु करवाना चाहेंगे, तो उन्हें वित्तीय वर्ष 2019–20 के निर्धारित या प्राप्त राजस्व जो भी अधिक हो, में 15% वृद्धि कर राजस्व निर्धारित करते हुए मात्र एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020–21) के लिए मदिरा की दुकान का नवीनीकरण कराने की अनुमति प्रदान की जायेगी। तत्समय सम्बन्धित अनुज्ञापी को राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों व नवीनीकरण शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

4 मदिरा दुकानों का दैनिक आधार पर व्यवस्थापन :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है, तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात् दैनिक आधार पर संचालित की जायेगी।

5 मदिरा की दुकान हेतु निर्धारित औपचारिकताएँ :–

आवेदक द्वारा मदिरा की दुकान के आवंटन पश्चात् निम्न निर्धारित औपचारिकताएँ उनके सम्मुख निर्धारित दिवसों के भीतर पूर्ण न करने पर उसको आवंटित मदिरा की दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये समस्त राजस्व को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

5.1 आवेदक का चरित्र प्रमाण पत्र– 30 दिवस

5.2 वांछित हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति (हैसियत प्रमाण पत्र निर्धारित राजस्व का 20% होना अनिवार्य है)–07 दिवस

a) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की एफ0डी0आर0 जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, स्वीकार की जा सकेगी।

b) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

c) हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0(नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने हों) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

5.3 आवेदक का जनपद का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति–30 दिवस

5.4 आवेदक को मदिरा की दुकान के आवंटन पर वाणिज्य कर विभाग में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा– 30 दिवस

5.5 आवेदक को आवंटित मदिरा की दुकान का निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क (नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार) तत्काल आवंटन के समय जमा करना होगा।

5.6 प्रथम प्रतिभूति की धनराशि को नकद 07 (सात) दिवस एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा बैंक गारण्टी के रूप में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के 30 (तीस) दिवस के भीतर

जमा करना अनिवार्य होगा, प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति पृथक–पृथक कुल वार्षिक न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के 1/12 भाग के बराबर होगी।

5.7 द्वितीय प्रतिभूति मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन के 25 (पच्चीस) दिवस के भीतर जमा न करने की दशा में अनुज्ञापी को आवंटित देशी/विदेशी मदिरा की दुकान हेतु मदिरा की आपूर्ति रोक दी जायेगी।

5.8 फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

6 देशी मदिरा :–

6.1 देशी मदिरा पर रू0 25/– प्रति ए0एल0 की दर से उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) देय होगी।

6.2 देशी मदिरा की दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब की आपूर्ति की जायेगी।

6.3 देशी मदिरा की 36% v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 287/– प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जायेगी तथा 25%v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी समानुपातिक आधार पर ली जायेगी।

6.4 मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 6.3 के अनुसार निर्धारित प्रति लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी ब0ली0 में माह में प्राप्त की जा सकेगी।

6.5 देशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) देय होगी।

6.6 राज्य में देशी मदिरा की दुकानो में बीयर बिकी की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7 विदेशी मदिरा :–

7.1 विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगीः–

विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई0डी0पी0 वार निम्नवत रहेगीः–

क्र० सं०	एक्सआसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
1	रू0 50.00 तक	270
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	290
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	315
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	345
5	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	380
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	425
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	525
8	रू0 500.01 से अधिक	725

7.2 अन्य मामलों में विदेशी मदिरा के उत्पाद शुल्क की दर रू0 280/–प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए.एल.) रहेगी।

7.3 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0)

की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार रहेंगीः–

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0 (प्रति बोतल) (रू0 में)
1	रू0 50.00 तक	180
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	190
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	210
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	235
5	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	265
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	300
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	390
8	रू0 500.01 से अधिक	480

नोट–अद्धा तथा पौव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 10/– तथा रू0 20/– की सीमान्तर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पौव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी व एक्साईज ड्यूटी की गणना वास्तविक स्लैब के आधार पर की जायेगी। अन्य धारिता की गणना बोतल के समानुपातिक आधार पर होगी।

7.4 विदेशी मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 7.3 के अनुसार निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर फुटकर दुकानवार मदिरा की निकासी बोतलों में माहवार प्राप्त की जा सकेगी।

7.5 विदेशी मदिरा की किसी दुकान पर मदिरा के अतिरिक्त उठान पर पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी देय होगी।

7.6 विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०–5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु सुविधानुसार एफ०एल०–5 ई० लाईसेंस लेना होगा। एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 40 % प्रतिशत के बराबर होगी।

8 प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन, नवीनीकरण व व्यवस्थापनः–

8.1 राज्य में नवीनीकृत न हो पाने वाली बीयॅर की समस्त दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित राजस्व पर ऑन लाईन ऑफर ई0–टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।

8.2 प्रदेश में बीयॅर की समस्त दुकानों पर बीयर के अतिरिक्त वाईन तथा आर0टी0डी0 की बिक्री सील्ड बोतलों में अनुमन्य होगी।

8.3 पूर्व से संचालित बीयॅर की दुकानों हेतु न्यूनतम राजस्व वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यवस्थापित राजस्व होगा। प्रदेश में बियर की नव सृजित दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क रू0 05 लाख प्रति दुकान नियत किया जाता है।

8.4 वित्तीय वर्ष के मध्य में ऐसे पर्यटक स्थल जिनके 10 कि0मी0 पहुँच मार्ग के अन्तर्गत विदेशी मदिरा व बीयॅर की दुकान स्थित न हो वहाँ जनपद के जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार नियम 8.3 में निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क न्यूनतम निर्धारित कर नियम 8.1 में दी गयी प्रकिया के अनुसार अनुज्ञापन निर्गत कर सकेंगे।

8.5 बीयॅर की दुकान के आवंटन हेतु प्रक्रिया शुल्क रू0 30,000/– निर्धारित किया जाता है।

8.6 सफल आवेदक को बीयॅर दुकान स्वीकृति के समय ही ऑफर की धनराशि जमा करनी होगी तथा रू0 01 लाख की प्रतिभूति जो एफ0डी0आर0 के रूप में होगी, (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो) व्यवस्थापन के सात दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

9 बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर आबकारी अभिकर, एम0जी0डी0 तथा एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

9.1 संदेय उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) की दर पाँच प्रतिशत (5% V/v)तक एल्कोहल

तीव्रता की बीयर (Mild Beer) पर रू0 42/– प्रति बल्क लीटर तथा 5% V/v से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर (Strong Beer) एवं वाईन पर रू0 69/– प्रति बल्क लीटर रहेगी। वाईन तथा आर0टी0डी0 पर भी बीयॅर के समतुल्य आबकारी अभिकर देय होगा।

9.2 **बीयर की निकासी पर देय एम0जी0डी0:–**

मदिरा की दुकानों तथा बारों/माल्स से बिक्री की जाने वाली बीयॅर पर न्यूनतम गारण्टीड अभिकर (MGD) प्रति बोतल क्रमशः रू0 15/– तथा रू0 25/– प्रति 650 एम0एल0 की दर से वसूली की जायेगी। उक्त गारण्टीड अभिकर की धनराशि मदिरा दुकान की स्थिति में मदिरा दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम गारण्टीड अभिकर में समायोजित की जा सकती है या पृथक से भी जमा कराया जा सकता है।

9.3 बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :–

1.	बीयर (एक) बीयर 650 एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0 एल0/330 एम0एल0 की 24 पैक की पेटी	रू0 360
	(दो) 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी।	रू0 558
2.	वाईन 750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	रू0 360
3.	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल ब्रेवरेज के 275 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	रू0 360

नोट– जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय असेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे। अन्य धारिता की बीयॅर, वाईन व अल्कोहलिक ब्रेवरेज की बोतलों में एसेसमेन्ट फीस की गणना सम्बन्धित की बोतलों के समानुपातिक आधार पर की जायेगी।

10 प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्री :–

10.1 प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों में विदेशी मदिरा की रू0 400 प्रति बोतल ई0डी0पी0 से अधिक ई0डी0पी0 की बोतलों/समुद्रपारीय आयतित बीयर/समुद्रपारीय आयातित वाईन एवं भारत में बनी वाईन की बिक्री करने की अनुमति दी जायेगी।

10.2 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा की बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क रू0 6.00 लाख वर्ष या वर्ष के भाग के लिए नियत होगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क, अनुज्ञापी द्वारा जमा करने पर अनुज्ञापन स्वतः नवीनीकृत हो जायेगा।

10.3 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों को निम्न एम0जी0डी0 दर पर एफ0एल0–2 से मदिरा का उठान करना होगा, किसी मॉल्स में अधिकतम 03 मदिरा की दुकानें खोलने पर विचार किया जायेगा:–

क्र०सं०	एक्स आसवनी का मूल्य	एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल
1	रू0 400.01 से रू0 500.00तक	585
2	रू0 500.01 से अधिक	720

10.4 समुद्रपारीय आयातित बीयर/वाईन पर शुल्क (एसेसमेन्ट शुल्क) एफ0एल0–5 डी के समान देय होंगे।

10.5 अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट शुल्क प्रति बोतल (750 एम0एल0) रू0 25 तथा बीयॅर पर प्रति बोतल (650 एम0एल0) रू0 15 आरोपित किया जाता है। अन्य धारिता की बोतलों पर परमिट शुल्क की गणना उपरोक्तानुसार समानुपातिक आधार पर की

जायेगी।

10.6 वर्तमान में कार्यरत उन्हीं डिपार्टमेन्टल स्टोर का वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु नवीनीकरण किया जायेगा, जिनका गत वित्तीय वर्ष (2018–19) में मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की बिक्री का टर्नओवर रू0 50.00 (पचास) लाख रहा है।

10.7 नये डिपार्टमेन्टल स्टोर हेतु मदिरा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की बिक्री के टर्नओवर का जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट रू0 60.00 (साठ) लाख का प्रस्तुत किया जायेगा।

11. मदिरा दुकानों से मदिरा/बीयॅर की बिक्री की समय अवधि :–

11.1 राज्य में देशी/विदेशी/बीयॅर की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10:00 से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा। नगर निगम क्षेत्र की मदिरा दुकानें रात्रि 11:00 तक खोली जा सकती है।

11.2 जनपद हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी मदिरा की दुकाने, जो दूसरे राज्य की सीमा से 10 कि0मी0 के भीतर अवस्थित हों, के बन्द होने का अधिकतम समय रात्रि 11:00 बज़े तक रहेगा।

12 मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध में :–

12.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापी को हस्तान्तरित हो सकता है, परन्तु नये अनुज्ञापी को देय एम0जी0डी0/अन्य राजस्व जमा करना होगा, जो माह में तय एम0एम0जी0डी0 में सम्मिलित होगा।

12.2 यदि नया अनुज्ञापी नियम–12.1 के अनुसार अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का निस्तारण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001(यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

12.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 में नवीनीकृत की जाने वाली मदिरा की दुकानों में वित्तीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति पर अवशेष व अविकृत स्टॉक को अनुज्ञापी वित्तीय वर्ष 2019–20 व वित्तीय वर्ष 2018–19 के केवल राजस्व के अन्तर (न्यूनतम गॉरण्टेड अभिकर, असेसमेन्ट फीस तथा एक्साईज डॅयूटी इत्यादि) जमा कर बेच सकेगा। यह मदिरा संबंधित अनुज्ञापी के वार्षिक निर्धारित न्यूतनतम गारण्टेड अभिकर एम.जी.डी. के अतिरिक्त होगी।

13 मदिरा का विक्रय मूल्य :–

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है।

13.1 विदेशी मदिरा, बीयॅर व वाईन/आर0टी0डी0 :–

विदेशी मदिरा, बीयॅर व वाईन/ब्रीजर का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जाता है:–

क्र0सं0	विवरण
1	ई0डी0पी0 (नियम 13.4 के कम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पौव्वा) तथा बीयॅर व वाईन में रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से)) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा।
4	बाण्ड व्यय रू0 50 प्रति पेटी
5	उत्पाद शुल्क (नियम 7.1 में ई0डी0पी0 वार निर्धारित)
	योग
6	वाणिज्य कर (20%)
	योग

7	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
8	होलोग्राम /ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
9	एफ0एल0–2 पर लागत मूल्य
10	टी0सी0एस0
11	एम0जी0डी0 / ऐसेस्मेन्ट फीस(एम0जी0डी0नियम 7.3 में ई0डी0पी0 वार तथा ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 9.3 के अनुसार)
12	लागत मूल्य
13	फुटकर विक्रेता का लाभांश(25 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 12th point
14	अधिकतम बिक्री मूल्य रू० 10 के गुणांक में यदि नहीं आता है, तो उसे 10 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

13.2 **देशी मदिरा :–**

देशी मदिरा का मूल्य निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगा:–

क0 सं0	मद
1	शासन द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 के अनुसार)
3	योग (1+2)
4	वाणिज्य कर @ 10%
5	योग (3+4)
6	सेस 2 प्रतिशत उपकर(उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
7	योग (5+6)
8	अनुज्ञापन शुल्क का Incidence (कुल राजस्व के 8%अनुज्ञापन शुल्क का Incidence)
9	न्यूनतम गारण्टीड अभिकर (नियम 6.3 के अनुसार)
10	योग (7+8+9)
11	लाभांश @25% of 10th point
12	देशी मदिरा का फुटकर मूल्य (रू0 5 के गुणांक में) रू० 05 के गुणांक में यदि अधिकतम फुटकर मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी।

13.3 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा एव बीयॅर की दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विकेता द्वारा केता को कम्प्यूटर जनित रसीद दी जायेगी एवं दुकानों में स्वैप मशीन भी रखनी होगी।

13.4 विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच इत्यादि की निर्माता इकाईयाँ या जिनको आपूर्ति के विधिक अधिकार प्राप्त हैं, के द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस या अन्य राज्यों में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस ही उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे। आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 दिल्ली या अन्य राज्यों में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी।

यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं द्वारा कतिपय ब्राण्डों की बिकी केवल

उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही हैं, तो इकाई द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।

ओवरसीज लिकर की ई0डी0पी0 एक्स–कस्टम बॉण्ड मूल्य मानी जायेगी।

प्रत्येक आपूर्तक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जाने हेतु प्रस्तुत ब्राण्डस की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य से अधिक नहीं है, यदि दिल्ली राज्य में बिक्री न की जा रही हो तो निकटवर्ती राज्यों से उत्तराखण्ड में ई0डी0पी0 अधिक न होने का उल्लेख करना होगा। स्थानीय निर्माताओं द्वारा केवल उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री किये जा रहे ब्राण्डस हेतु उल्लेख करना होगा कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दी जायेगी।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

13.5 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न दण्ड आरोपित किया जायेगाः–

1. प्रथम उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से 1% की राशि या रू0 10 हजार जो भी अधिक हो को जब्त/प्रशमित की जायेगी।
2. द्वितीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से 2% की राशि या रू0 20 हजार जो भी अधिक हो को जब्त/प्रशमित की जायेगी।
3. तृतीय उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से 3% की राशि या रू0 30 हजार जो भी अधिक हो को जब्त/प्रशमित की जायेगी।
4. चतुर्थ उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से 4% की राशि या रू0 50 हजार जो भी अधिक हो को जब्त/प्रशमित की जायेगी।
5. पंचम उल्लंघन पर एक माह की अग्रिम नकद जमा प्रतिभूति में से 5% की राशि या रू0 01 लाख जो भी अधिक हो को जब्त/प्रशमित की जायेगी।
6. छठवें उल्लंघन पर सम्बन्धित दुकान का अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जायेगा, उक्त अनुज्ञापी को काली सूची में डाला जायेगा तथा सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

14 बार अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–

14.1 होटल बार लाईसेंस (एफ०एल०–6(सम्मिश्र)बार) की लाईसेंस फीस बीस कमरों तक रू0 03 लाख व बीस कमरों से अधिक की बार लाईसेंस फीस रू0 5.00 लाख निर्धारित की जाती है।

14.2 गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी के द्वारा एफ0एल0–06 (समिश्र) बार अनुज्ञापन संचालन हेतु (Out Source करने पर भी) अनुज्ञापन शुल्क में निर्धारित दरों में 50 % की छूट अनुमन्य रहेगी।

14.3 होटल बार अनुज्ञापनों को, कमरों में मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा।

14.4 रेस्त्रां बार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है :–

क्र0 सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रू0 में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	**रू0 03 लाख**
2.	बियर बार	रू0 **1.30 लाख**
3.	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगमया कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी को एफ0एल0–07 बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	क्लब बार	
	(1)क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए)	रू0 **01 लाख**
	(2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए)	**रू0 02 लाख**
	(3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	**रू0 03 लाख**
	(4) राजकीय कार्मिको हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन	**रू0 25 हजार**
	(5) प्रेस क्लब हेतु	**रू0 25 हजार**

नोट–बार व होटल बार के अनुज्ञापन सम्बन्धित आवेदक के अनुरोध पर तीन वर्ष की एकमुश्त प्रचलित फीस जमा करने पर तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। तीन वर्ष की एकमुश्त लाईसेंस फीस जमा करने पर 10% की छूट दी जायेगी।

आवेदक को अनुज्ञापन निर्गत होने वाले वित्तीय वर्ष हेतु प्रथम बार रू0 05 लाख अनुज्ञापन शुल्क जमा करना होगा। सम्बन्धित अनुज्ञापन भविष्य में नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क जमा करने पर अनुज्ञापन का नवीनीकरण स्वतः हो जायेगा।

14.5 ओकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन) :–

1. वैडिंग प्वाइन्ट	रू0 5 हजार मात्र
2. रेस्टोरेन्ट/क्लब/होटल (वाणिज्यक् प्रयोजन हेतु)	रू0 15 हजार मात्र
3. निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु	रू0 02 हजार मात्र

14.6 निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु प्रयोजन को छोड़कर अन्य ओकेजनल बार परमिट हेतु समारोह में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 5000/– (पाँच हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी।

14.7 निजी स्थान पर व्यक्तिगत् समारोह हेतु सम्बन्धित आवेदक निकटवर्ती मदिरा की फुटकर दुकान में रू0 2000/– अनुज्ञापन शुल्क जमा कर अनुज्ञापी से रसीद प्राप्त करेगा। उक्त रसीद एक दिवस के बार अनुज्ञापन हेतु अनुमति होगी, को वह जाँच के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दिखायेगा। सम्बन्धित अनुज्ञापी अगले कार्य दिवस में उक्त धनराशि को कोषागार में जमा कर, चालान जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में मय विवरण उपलब्ध करायेगा।

14.8 यदि कोई एफ0एल0–11 परमिट धारक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा भविष्य में उसे एफ0एल0–11 परमिट नहीं दिया जायेगा।

14.9 बार से बिक्री की जाने वाली मदिरा के पैग की धारिता 30 एम0एल0 व 60 एम0एल0 निर्धारित की जाती है।

15 बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी :–

15.1 थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लयू इत्यादि) से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर एम0जी0डी0 की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगी :–

क्र०सं०	एक्स आसवनी मूल्य	एम0जी0डी0 की दर (प्रति बोतल) रू0में
1	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	315
2	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	353
3	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	398
4	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	450
5	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	585
6	रू0 500.01 से अधिक	720
7	नियम 9.2 के अतिरिक्तबियर/ब्रीजर के 500 एम0एल0, 330 एम0एल0,325एम0एल0 एवं 275 एम0एल0के पैक, ओवरसीज लिकर के 50 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक	रू0 15/– प्रति पैग

15.2 बार में वाईन ग्लास में परोसी जा सकती है। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्लास में परोसी जाने वाली वाईन को फ्रिज में रखा गया हो तथा उसका उपभोग एक दिवस में कर लिया जाये। यदि किसी कारणवश एक दिवस में उपभोग सम्भव न हो तो अवशेष वाईन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा तथा नष्ट कर दिया जायेगा।

16 होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता :–

16.1 बार अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदक को तत्सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप, शर्तें पूर्ण करनी होगी। पके भोजन के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धित व्यवस्था को विलोपित किया जाता है।

16.2 एफ0एल0–6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हजार बैंक ड्राफ्ट के रुप मे आवेदन शुल्क जो आबकारी आयुक्त के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हजार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रकिया शुल्क के रुप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

16.3 शासन से बार अनुज्ञापन स्वीकृत होने के उपरान्त जिलाधिकारी के आदेश निर्गत होने के 30 दिवस के भीतर आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण कर बार अनुज्ञापन संचालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शासन की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा तत्सम्बन्ध में जमा समस्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

17 सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंस :–

17.1 सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे, सीजनल बार के लिये जिला स्तर पर निम्नवत् अनुज्ञापन समिति गठित की जायेगीः–

जिलाधिकारी–	अध्यक्ष।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक –	सदस्य।
जिला पर्यटन अधिकारी–	सदस्य।
जिला आबकारी अधिकारी–	सदस्य/सचिव।

17.2 उक्त अनुज्ञापन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श कर स्थानीय/पर्यटन आवश्यकताओं के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा अनुज्ञापनों की स्थिति के सम्बन्ध में पारित निर्णयों तथा स्थिति के सम्बन्ध में प्रख्यापित नियमावली के अन्तर्गत निर्णय लेगी।

17.3 सीजनल बार हेतु समिति मुख्यतः बार की स्थिति, शान्ति व्यवस्था होटल/रेस्टोरेन्ट की पात्रता/भोजन का स्तर, पार्किंग की व्यवस्था, बार कक्ष में 20 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था तथा पुरूषों व महिलाओं हेतु अलग-अलग टॉयलेट की व्यवस्था के अन्तर्गत निर्णय लेगी।

17.4 उक्त बारों को मदिरा की आपूर्ति निकटतम एफ0एल0-5डी द्वारा की जायेगी, जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा मदिरा परिवहन पास अनुज्ञापी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जायेगा एवं सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

17.5 उक्त उल्लिखित रेस्टोरेन्ट बार जिसमें मदिरा व बीयॅर/वाईन परोसी जा सके का अनुज्ञापन शुल्क रु० 03 लाख प्रति छः माह हेतु एवं रेस्टोरेन्ट बार जिनमें केवल बीयॅर व वाईन परोसी जा सके का अनुज्ञापन शुल्क रू0 01 लाख होगा।

18 मद्यनिषेध क्षेत्रों में बार की स्वीकृति के सम्बन्ध में :-

प्रदेश में प्रतिबन्धित व अधिसूचित स्थलों में कोई बार का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

19 सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन शुल्क, एक्साइज ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें :-

19.1 एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 25000/- अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

19.2 एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

19.2(a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित की जायेगी:-

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
1	रू0 50.00 तक	270
2	रू0 50.01 से रू0 60.00 तक	290
3	रू0 60.01 से रू0 75.00 तक	315
4	रू0 75.01 से रू0 95.00 तक	345
5	रू0 95.01 से रू0 150.00 तक	380
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	425
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	525
8	रू0 500.01 से अधिक	725

19.2(b) रियायती रम पर उत्पाद शुल्क रू0 83.00 प्रति ए0एल0 देय होगा।

19.2(c) एफ0एल0-9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बीयर/ब्रीजर (आर0टी0डी0) एवं वाईन की बिक्री पर अभिकर की धनराशि एफ0एल0-5डी/5बी के समान देय होगी।

19.3 असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र०सं०	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 100 तक ई0डी0पी0 रू0 100 से अधिक	 रू0 120.00 रू0 175.00
(2)	रियायती रम	रू0 70.00
(3)	बियर/वाईन/ब्रीजर (आर0टी0डी0)	एफ0एल0-5डी के समान दर।
(4)	भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल) दरें निम्न प्रकार	

	होंगी:– (क) विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) :– (1) ई0डी0पी0रू0 100 तक (2) ई0डी0पी0रू0 100 से अधिक (ख) रियायती रम (ग) बियर/वाईन/ब्रीजर	 रू0 100.00 रू0 155.00 रू0 55.00 एफ0एल0–5डी के दर से 10 रू0 (प्रति पेटी) कम।

19.4 राज्य में स्थित समस्त अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापन की सुविधा अनुमन्य होगी।

19.5 एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर/ब्रीजर एवं वाईन पर अभिकर की धनराशि एफ0एल0–5डी/5बी के समान देय होगी।

19.6 ड्राउट बियर की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0 धारिता में केन बियर की बिक्री की जा सकेगी।

20 राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री :–

20.1 राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच/आर0टी0डी0 इत्यादि के ब्राण्ड्स उत्तराखण्ड स्थित अपने बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं जनपद स्थित थोक अनुज्ञापनों (एफ0एल0–2) के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

20.2 बॉण्ड अनुज्ञापनों/एफ0एल0–1 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

क0सं0	अनुज्ञापन	अनुज्ञापन शुल्क
1.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2	रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 10/–निर्धारित की जाती है।
2.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2बी	रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 10/–निर्धारित की जाती है।
3.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2 बी0 आई0 (केवल विदेशी आयातित बीयर के लिए)/बी0 डब्लयू0एफ0एल0–2 एस०(केवल स्कॉच के लिये) अनुज्ञापन शुल्क	रू0 01 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 100/–निर्धारित की जाती है।
4.	बी0डब्लयू0एफ0एल0–2डब्लू	रू0 01 लाख निर्धारित की जाती है।
5.	एफ0एल0–1 लाईसेंस फीस	रू0 05 लाख न्यूनतम के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 5/–निर्धारित की जाती है।

20.3 राज्य से बाहर के विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आर0टी0डी0 के निर्माताओं को बी0डब्लू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू/2बी (आई) की सामान्य लाईसेंस फीस के अतिरिक्त अपनी एक से अधिक यूनिट्स की मदिरा/बियर आयात किये जाने पर प्रति यूनिट से मदिरा आयात किये जाने हेतु अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में बी0डब्लू0एफ0एल0–2/2बी/2एस/2डब्लू इत्यादि की न्यूनतम लाईसेंस फीस के 25% अतिरिक्त लाईसेंस फीस के रूप में जमा करना होगा। ऐसे निर्माता स्वयं की कई यूनिट्स की मदिरा आयात किये जाने हेतु एक ही बाण्ड अनुज्ञापन रख सकेंगे।

20.4 बॉण्ड अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि जो पूर्व में रू0 01 लाख थी, को बढ़ाकर रू० 05 लाख किया जाता है।

21 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०–2/2बी/ 2एस/2डब्ल्यू/एफ0एल0–2बी (आई)) अनुज्ञापन :–

21.1 एफ०एल०–2/2बी/2एस/2डब्ल्यू/एफ0एल0–2बी आई० अनुज्ञापन विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता अथवा ब्रॉण्ड के मालिकाना हक

इकाईयों को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

21.2 निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयाँ जो आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हीस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटलड विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

21.3 राज्य में थोक विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के अनुज्ञापन (एफ०एल०–2 अनुज्ञापन) हेतु रूपये 12 लाख, एफ०एल०–2बी० अनुज्ञापन के लिए रूपये 10 लाख, एफ०एल०–2 एस०/एफ०एल०–2 डब्ल्यू०/एफ0एल0–2बी० आई० अनुज्ञापन के लिए रूपये 03 लाख रजिस्ट्रेशन फीस देय होगी।

नोट–प्रतिबन्ध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रूपये 02 लाख देय होगी एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रूपये 01 लाख देय होगी।

21.4 विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित कृत समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी तथा अधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निर्माता इकाई द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा।

21.5 विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–02 अनुज्ञापन) हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू0 20 हजार को बढ़ाकर रू0 01 लाख किया जाता है।

22 राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारण :–

22.1 राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम रू0 12 लाख के अधीन रहते हुए रू0 2.5 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञापन शुल्क देय होगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन कराना होगा, इस हेतु पंजीयन शुल्क प्रति ब्राण्ड रू0 04 लाख मात्र निर्धारित किया जाता है।

22.2 देशी मदिरा की सुलभ आपूर्ति हेतु देशी मदिरा के निर्माताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्ति के क्षेत्र के आवंटन का निर्णय सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर उच्चानुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

22.3 देशी मदिरा का उत्पादन केवल ई०एन०ए० से किया जायेगा। ई0एन0ए0 कय कर देशी मदिरा भराई के अनुमति केवल सहकारी संस्था या उनके द्वारा संचालित आसवनी को अपरिहार्य स्थिति में दी जायेगी।

23 आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में :–

आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जाती है:–

23.1 पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था आवेदक इकाई स्वंय करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

23.2 बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईको पब ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के अधीन अनुज्ञापन जारी किये जायेंगे।

23.3 आसवनी, ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण निम्नवत रहेगा –

23.3(a) पी0डी0–33 (आसवनी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रु0 05 लाख, बी–20 (ब्रुवरी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रु0 03 लाख, एफएल0एम0–2 (विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 04 लाख एवं वी–1(विन्टनरी की स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 5 हजार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

23.3(b)नियम 23.3a के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि

इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 23.3(a) के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रतिवर्ष दोगुना हो जायेगा।

23.3(c) विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लाण्ट सम्बन्धित एफ0एल0एम0–02 अनुज्ञापन के नवीनीकरण में भी नियम–23.3 a के अनुसार निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का दोगुना शुल्क देय होगा। उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 983/XXIII/2012/04(55)/2012/देहरादून/ दिनांकः 24.12.2012 के नियम–05 में निर्धारित समयावधि में आवेदक आसवनी द्वारा बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापना न किये जाने की स्थिति में उक्त प्रतिभूति की धनराशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया जाता है, को विलोपित किया जाता है।

24 आसवनी/ब्रुवरी/बॉटलिंग प्लाण्ट का अनुज्ञापन शुल्क :–

24.1 आसवनी के पी0डी0–2 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 200/– प्रति किलो लीटर निर्धारित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापन शुल्क केवल पेय योग्य मदिरा पर ही देय होगा।

24.2 आबकारी अधिनियम में आसवनी से सम्बन्धित Rules Regulating Distillery के नियम–4 में उल्लिखित रू0 01 लाख की प्रतिभूति को रू0 05 लाख तथा Uttar Pradesh Brewery Rules-1961 के नियम–5 में उल्लिखित रू0 20 हज़ार की प्रतिभूति धनराशि रू0 02 लाख से प्रतिस्थापित किया जाता है।

24.3 ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैः–

24.3(a) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलो लीटर तक रू0 01 लाख

24.3(b) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 02 लाख

24.3(c) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 07.50 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

24.4 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रू0 02 प्रति बोतल की दर से निर्धारित किया जाता है।

24.5 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन हेतु प्रतिभूति के रूप में पूर्व में जमा की जाने वाली रू0 50 हजार की धनराशि को रू0 05 लाख से प्रतिस्थापित किया जाता है।

25 ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क रू0 02 प्रति ए0एल निर्धारित किया जाता है।

26 बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु अनुज्ञापन शुल्क/बॉटलिंग शुल्क :–

26.1 व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान अनुज्ञापन शुल्क देय होगा।

26.2 एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को विदेशी मदिरा की भराई हेतु वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 01 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य मे बिक्री हेतु रू० 10/– प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 3/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा।

26.3 एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में विदेशी मदिरा की भराई पर (बाटलिंग हेतु) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए न्यूनतम रू० 01 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू० 10/–प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 3/–प्रति ए0एल0 दर पर बाटलिंग शुल्क देय होगा। एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 983/XXIII/2012/04(55)/2012/देहरादून/दिनांकः 24.12.2012 के नियम–7 (III) को विलोपित किया जाता है।

26.4 एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/–(रू० एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

क्र० सं०	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.15 प्रति ब0ली0	रू0 1.15 प्रति ब0ली0

26.5 बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

क्र0 सं0	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.07 प्रति ब0ली0	रू0 1.07 प्रति ब0ली0

26.6 ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगा :–

क्र0सं0	बाटलिंग शुल्क
01	रू0 1.26 प्रति ब0ली0

27 **लेबल रजिस्ट्रेशन** शुल्क **की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–**

27.1 विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 45,000/(रूपये पैंतालीस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

27.2 बीयर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के लेबलों के अनुमोदन के लिए धारिता वार प्रति लेबल प्रति वर्ष रू0 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

27.3 वाईन हेतु **50,000/–** रूपये (पचास हजार रूपये) इकाई द्वारा समस्त लेबलों हेतु पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है।

नोटः–उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

27.4 बॉण्ड अनुज्ञापन के माध्यम से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन इत्यादि पर न्यूनतम 70 मि0मी0 X 35 मि0मी0 साईज का सफेद रंग का स्टीकर चस्पा किया जायेगा, जिस पर Legend शासनादेश संख्याः 434/दिनांकः 19.04.2001 के अनुसार मुद्रित किये जायेंगे।

27.5 गत् वर्ष स्वीकृत लेबिल के परिवर्तित न होने की दशा में केवल लेबिल पंजीकरण शुल्क जमा कर अवगत कराना होगा तथा उसका उपयोग किया जा सकेगा। परन्तु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में यदि लेबिल में परिवर्तन आवश्यक हो तो नवीनीकरण मान्य नहीं होगा।

27.6 भविष्य में अनुमोदित कराये जाने वाले मदिरा के लेबिल पर आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

28 **जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें :–**

28.1 जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें। परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

28.2 फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी।

28.3 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" में दिनांकः 15.12.2016 एवं 31.03.2017, एस0एल0पी0 सिविल संख्याः 10243 ऑफ 2017 Arrive Safe Society of Chandigarh Verses The Union Territory of Chandigarh & ANRमें पारित निर्णय दिनांकः 11.07.2017

तथा M.A. Nos. 470-472/2017/in Civil Appeal No (s). 12164-12166/2016/State Of Tamil Nadu & Others Vs K. Balu & Others/dt.11.08.2017 में पारित निर्णय के आलोक मे दुकानों की स्थिति निर्धारित की जायेगी। यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाता है कि राज्य में हरिद्वार तथा ऋषिकेश नगर निगम/नगर निकायों के पुर्नसीमांकन के फलस्वरूप उक्त नगरों में मद्यनिषेध क्षेत्र पूर्व में निर्धारित मद्यनिषेध क्षेत्र के अनुसार ही रहेगा।

28.4 **किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करना :–**

28.4(a) जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

28.4(b) यदि जिले की सीमान्तर्गत कोई मदिरा की दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियम संगत रूप से आबकारी अधिनियम, मदिरा दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली 1968 तथा तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे, परन्तु निर्णय लेने से पूर्व जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे की मदिरा दुकान के स्थानान्तरण से किसी अन्य निकटवर्ती मदिरा की दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित क्षेत्र न होने पाये।

जिलाधिकारी के उक्त आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति आबकारी अधिनियम की धारा–11 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार अपील योजित कर सकता है।

29 **मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा/बीयॅर व वाईन की फुटकर बिक्री की सीमा :–**

देशी/विदेशी तथा बीयॅर की फुटकर दुकानों से मदिरा/बीयॅर/वाईन की फुटकर बिक्री की अधिकतम सीमा (स्वंय के वास्तवित उपभोग हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

क०सं०	मदिरा का प्रकार	मात्रा ब०ली० में
01	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	09 ब०ली०
02	ओवर सीज मदिरा	06 ब०ली०
03	वाईन	09 ब०ली०
04	बीयॅर	7.80 ब०ली०
05	देशी मदिरा	06 ब०ली०

30 Trace and Track प्रणाली

राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Trace and Track आधारित किया जायेगा।

31 नियम–30 में दी गयी व्यवस्था के प्रभावी होने तक होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी के स्तर पर भी लगाये जा सकेंगे। बी0आई0ओ0 ब्राण्ड पर होलोग्राम सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक के सम्मुख लगायी जायेगी।

32. मदिरा के उपभोग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जाती है।

33. प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लाण्ट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन(एफ0एल0–2) बॉण्ड अनुज्ञापन (बी0डब्लू0एफ0एल0–2), बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की फुटकर दुकानों में IP address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे सम्बन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कन्ट्रोल रूम से नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

34. माह अप्रैल, मई व जून में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आगामी माहों (माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर में मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है तो वह आगामी माहों (माह जनवरी, फरवरी व मार्च) का

उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। माह फरवरी व मार्च हेतु निर्धारित एम0जी0डी का पूर्व उठान करने पर निर्धारित एम0जी0डी0, जिसकी मदिरा पूर्व में उठायी जायेगी से सम्बन्धित धनराशि नकद जमा करनी होगी। अग्रिम जमा प्रतिभूति के सापेक्ष किसी भी दशा में अग्रिम निकासी नहीं दी जायेगी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर देयता न होने की स्थिति में उपरोक्त कारण से समायोजन होने से रह गयी अग्रिम प्रतिभूतियों को जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापी को वापस किया जा सकेगा।

नोट–उपरोक्तानुसार माह में निर्धारित मासिक एम0जी0डी0 का अधिकतम 25% तक आगामी माह का कोटा पूर्व में उठाया जा सकता है।

पूर्व में अग्रिम उठान कर लिये जाने के कारण किसी माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित माह में अनुज्ञापी को अतिरिक्त राजस्व जमा कर मदिरा का उठान करना होगा।

35. ई–टेण्डर प्रकिया में मदिरा दुकान हेतु निर्धारित राजस्व या उससे अधिक राजस्व पर अधिकतम ऑफरदाता द्वारा मदिरा दुकान के संचालन हेतु मना करने पर निर्धारित राजस्व या उससे अधिक राजस्व के ऑफरदाताओं को उनके द्वारा प्रस्तुत ऑफर के अवरोही क्रम में मदिरा दुकान संचालन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी तथा मदिरा दुकान संचालन हेतु तद्नुसार अनुमति प्रदान की जायेगी।
36. मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनों को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य होगा।
37. वित्तीय वर्ष के मध्य में आबकारी अनुज्ञापनों के संचालन में यदि कोई समस्या आती है, जिसकी व्यवस्था वित्तीय वर्ष में प्रख्यापित नियमावली में न दी गयी हो, तो कार्य के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समित का गठन किया जाता है, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव वित्त एवं प्रमुख सचिव/सचिव न्याय, सदस्य तथा प्रमुख सचिव/सचिव आबकारी सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रकरण मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जायेगा।
38. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2019 के नियम इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।
39. अन्य व्यवस्थायें वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्याः 126(i)/XXIII/2019/04(04)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा० आबकारी मंत्री जी, को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जिला–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, प्रमुख

सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4–सुभाष रोड़ देहरादून तथा 50 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त अधिसूचना को सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव